

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

बर्न यूनिट

अनुसूची-एक

(नियम 4.1 देखिए)

खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड-पे
1	2	3	4
1	शल्य चिकित्सक (प्लास्टिक/बर्न/जनरल सर्जन)	01	15600-39100+5400
2	निश्चेतना चिकित्सक	02	15600-39100+5400
3	चिकित्सा अधिकारी	04	15600-39100+5400

खण्ड-ब परिचारिका संवर्ग

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड पे
1	2	3	4
1	स्टॉफ नर्स	12	5200-20200+2800

खण्ड-स सह चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड-पे
1	2	3	4
1	ओ.टी. टेक्नीशियन	01	*5200-20200+2400
2	ड्रेसर ग्रेड-1	02	5200-20200+1900

(*) विभागीय प्रस्ताव पर वित्त द्वारा दिए गए अभिमत के आधार पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 20.07.2018 द्वारा समस्त टेक्नीशियनों का वेतनमान 5200-20200+2800 ग्रेड-पे किया गया है। तदनुसार सह चिकित्सकीय संवर्ग के सरल क्रमांक 1 में अंकित ओ.टी. टेक्नीशियन का वेतनमान 5200-20200+2800 ग्रेड-पे पढ़ा जावे।

टीप :- अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
अ.ई.ए.ए.ए. प्रवेश: भोपाळ

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

3

संचालक; संयुक्त संचालक वित्त
संचालक; चिकित्सा शिक्षा

विजय देव वर्मा
कनिष्ठ लेखिका

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधीक्षता
म. शा. ए. ए. चिकित्सा महा. एवं
सह चिकित्सा शिक्षा (म. प्र.)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

बर्न यूनिट

अनुसूची-दो

(नियम 5.1 देखिए)

खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	शल्य चिकित्सक (प्लास्टिक/बर्न/जनरल सर्जन)	01	01	—
2	निश्चेतना चिकित्सक	02	02	—
3	चिकित्सा अधिकारी	04	04	—

खण्ड-ब परिचारिका संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	स्टॉफ नर्स	12	12	—

खण्ड-स सह चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	ओ.टी. टेक्नीशियन	01	01	—
2	ड्रेसर ग्रेड-1	02	—	02

टीप :- कॉलम 5 में दर्शाये पदों को पदोन्नति के लिये तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस हेतु समय-समय पर कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर सकेगी।

संचालक;
चिकित्सा शिक्षा
शिव शंखर शुक्ल
आइ.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा 4

संयुक्त संचालक विस्तृत
संचालक चिकित्सा शिक्षा
कनिष्ठ लेखाधिकारी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
स. गौ. चिकित्सा महा. एवं
चिकित्सा महा. (नवजात संस्था)
(स. प्र.)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
बर्न यूनिट
अनुसूची-तीन
(नियम 5.2 देखिए)

खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	1	शल्य चिकित्सक (प्लास्टिक/बर्न/जनरल सर्जन)	25 वर्ष	1. एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. प्लास्टिक/बर्न यूनिट में न्यूनतम 01 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।	65 वर्ष
2	2	निश्चेतना चिकित्सक	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष
3	3	चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

खण्ड-ब परिचारिका संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	1	स्टॉफ नर्स	18 वर्ष	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए. 2. बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत परिचारिका।	65 वर्ष

5

शिव शेखर शुक्ला
 आई.ए.एस.
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश

संचालक;
 चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश

संयुक्त संचालक
 चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश


विस्तार विजय देव वर्मा
 कनिष्ठ लेखाधिकारी


खण्ड-स सह चिकित्सकीय संवर्ग


स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	1	ओ.टी. टेक्नीशियन	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स, में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से ऑपरेशन थियेटर का प्रमाण-पत्र। 3. 500 बिस्तरीय या उससे अधिक के चिकित्सालय में 01 वर्ष के कार्य के अनुभव को प्राथमिकता। 4. मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद् का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।	62 वर्ष

टीप:-

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद या मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।
2. कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।


 प्रमालक,
 चिकित्सा शिक्षा
 मध्य प्रदेश: सी.एच.
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा


 संयुक्त संचालक
 चिकित्सा शिक्षा
 मध्य प्रदेश: सी.एच.
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा


 विक्रम सिंह देव वर्मा
 चिकित्सा शिक्षा
 मध्य प्रदेश: सी.एच.
 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद
 एवं अधिवृत्ति
 डॉ. शा. मधुसूदन चिकित्सा महा. एवं
 प्रमुख चिकित्सा (महामाहि संस्था)
 मध्य प्रदेश (सी.एच.)

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

बर्न यूनिट

अनुसूची-चार


(नियम 7.2 देखिए)

खण्ड-अ चिकित्सकीय संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)	निरंक			

खण्ड-ब परिचारिका संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)	निरंक			



 संचालक;
 चिकित्सा शिक्षा
 शिव शेखर शुक्ला मध्य प्रदेश, भोपा
 आई.ए.एस.
 आयुक्त संघीय चिकित्सा शिक्षा विभाग
 संयुक्त संचालक वित्त
 संचालक संघीय चिकित्सा शिक्षा विभाग
 (विजय देव वर्मा)
 कनिष्ठ लेखाधिकारी

खण्ड-स सह चिकित्सकीय संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)	ड्रेसर ग्रेड-2	ड्रेसर ग्रेड-1	ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर 05 वर्ष का कार्यानुभव।	<ol style="list-style-type: none"> मुख्य कार्यपालन अधिकारी - अध्यक्ष संभागायुक्त द्वारा मनोनीत सेवारत अथवा सेवानिवृत्त प्राध्यापक - सदस्य चिकित्सा महाविद्यालय का अधीक्षक - सदस्य

शिव शंकर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

संचालक;
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश; भोपाळ

संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा
संचालकालय
मध्यप्रदेश

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एवं अधीक्षकता
म. गां. स्वच्छ चिकित्सा सहा. एवं
अनुभव चिकित्सालय (स्वशासी) संस्था।
इन्दौर (म. प्र.)

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

बर्न यूनिट

अनुसूची-एक

(नियम 4.1 देखिए)

गैर शैक्षणिक संवर्ग

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड + ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सोशल वर्कर	02	5200-20200+2100

टीप :- अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है ।

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

बर्न यूनिट

अनुसूची-दो

(नियम 5.1 देखिए)

गैर शैक्षणिक संवर्ग

अनु. क्र.	पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति / सीधी भर्ती द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सोशल वर्कर	02	02	-

टीप :- अनुसूची के कॉलम 5 में दर्शाये पदों को पदोन्नति के लिये तत्समय अर्हताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की दशा में अथवा पदोन्नति पर वैधानिक बाधा होने की दशा में सीधी भर्ती से भरा जा सकेगा। इस हेतु समय-समय पर कार्यकारिणी समिति संकल्प पारित कर सकेगी ।

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.

संचालक;
चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश; पोपी

संयुक्त संचालक वित्त

चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा शिक्षा

मध्य प्रदेश, इन्दौर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

एवं अधिकृतता

चिकित्सा महा. एवं

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
बर्न यूनिट
अनुसूची-तीन
(नियम 5.2 देखिए)
गैर शैक्षणिक संवर्ग

स.क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	1	सोशल वर्कर	18 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि अथवा एम.एस. डब्ल्यू डिप्लोमा/उपाधि।	62 वर्ष

टीप:-

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में कार्यकारिणी समिति समय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
बर्न यूनिट
अनुसूची-चार
(नियम 7.2 देखिए)
गैर शैक्षणिक संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए
(1)	(2)	(3)	(4)
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर)			निरंक